मेरठ विकास प्राधिकरण

की

103 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 06–09–2014

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 103वीं बैठक दिनांक 06-09-2014 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 103वीं बैठक मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ कार्यालय के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 06-09-2014 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष/सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष/सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः-

1.	श्री राजेश कुमार	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष।
2.	श्री पंकज यादव,	ज़िलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री डी0सी0 गुप्ता,	सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ	सदस्य।
4.	श्री अब्दुल समद	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
5.	श्रीमती अर्चना कुमारी,	अर सांख्यकीय अधिकारी, (प्रतिनिधि-अपर निदेशक उद्योग), मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य।
6.	श्री मनोज कुमार,	सहायक वास्तु नियोजक, (प्रतिनिधि-आयुक्त,एन0सी0आर0 सैल, उ0प्र0), गाजियाबाद।	सदस्य।
7.	श्री पारस नाथ सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि), मेरठ।	सदस्य।
8.	श्री आर0पी0सक्सैना,	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
9.	श्री डी0पी0श्रीवास्तव,	अपर ज़िलाधिकारी (भूमि	विशेष आमन्त्रित

		अध्याप्ति), मेरठ	सदस्य।
10.	डा0 राजेश सिंह,	शासन द्वारा नामित सदस्य, दयानन्द नर्सिंग होम, बेगमपुल, मेरठ।	सदस्य।
11.	श्री परमिन्दर इसू,	शासन द्वारा नामित सदस्य, 32, सोतीगंज, गुरूद्वारा रोड़, मेरठ।	सदस्य।
12.	श्रीमती इरशाद जहाँ,	शासन द्वारा नामित सदस्य, मकबरा डिग्गी पब्लिक गर्ल्स स्कूल, मेरठ	सदस्य।
13.	श्रीमती मिष्ठा देवी,	नगर निगम द्वारा नामित सदस्य, पार्षद, 142, शिवशंकरपुरी, शारदा रोड़, ब्रहमपुरी बिजलीघर के पीछे, मेरठ।	सदस्य।
14.	श्री राजेन्द्र सिंह,	नगर निगम द्वारा नामित सदस्य, पार्षद, पूर्वी रिठानी, 457/1, दिल्ली रोड़, मेरठ।	सदस्य।
15.	श्री पंकज कतीरा,	नगर निगम द्वारा नामित सदस्य, पार्षद, पार्षद, के ब्लॉक, के–237, शास्त्रीनगर, मेरठ शहर।	सदस्य।
16.	श्री विजय आनन्द,	नगर निगम द्वारा नामित सदस्य, पार्षद, 226, कानून गोयान, मौहल्ला पत्तेवालान, खैर नगर, मेरठ।	सदस्य।
17.	श्री राजेश कुमार,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक।

प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–06–2014 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–06–2014 की पुष्टि के दौरान शासन द्वारा नामित सदस्य श्री परमिन्दर इसू द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि उन्होंने विगत बोर्ड बैठक में यह माँग की थी कि वाहय् विकास मद में कितना धन प्राप्त हुआ एवं कहाँ–कहाँ कितना खर्च हुआ, का विवरण माँगा था जो उन्हें प्राप्त नहीं

हुआ है। मा0 बोर्ड द्वारा श्री इसू को लिखित में सूचना माँगने के निर्देश दिये तथा मेरठ विकास प्राधिकरण को उक्त सूचना, पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में दिये जाने के निर्देश के साथ विगत बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 व प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 30–04–2008 में प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2 व 8

मा0. बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। इस बिन्दु के सम्बन्ध में शासन द्वारा नामित सदस्य श्री परमिन्दर इसू द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गयी कि प्राधिकरण द्वारा जो अवैध कालोनियों की सूची संलग्न की गयी है, वह वर्ष 2008 तक की है, वर्ष 2014 तक की क्यों नहीं है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 बोर्ड को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में परीक्षण कर अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी। अवैध कालोनियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध है। अनधिकृत कालोनियों की ही भाँति विवाह मण्डप एवं नर्सिंग होमके विनियमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–12–2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुपालन आख्या–

मद सं0 : 20, 21 व 22

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तगत की गयी कालोनियों में नगर निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रगति रिपोर्ट में दो कॉलम यथा कॉलम सं0 (1) कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि व कॉलम सं0 (2) कार्य पूर्ण करने का दिनांक, बढ़ाने के निर्देश दिये जाये।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 3

मा0 बोर्ड द्वारा द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–02–2014 में प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 3

मा0 बोर्ड द्वारा द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अनुपूरक मद सं0 4

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया तथा निर्देश दिये गये कि अन्य विकास प्राधिकरणों से आख्या प्राप्त कर प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखे।

अनुपूरक मद सं0 5

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन कर अन्य प्राधिकरण से आख्या प्राप्त कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिया गया।

अनुपूरक मद सं0 6

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 7

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 9

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 11

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 12

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 13

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए निर्देश दिये गये कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का नम्बर प्राधिकरण की वेब साईट पर अपलोड किया जाय तथा जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु उन्हें अटेण्ड किया जाये। अपरिहार्य स्थिति में न अटेण्ड कर सकने पर काल बैक करने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 15

गाजियाबाद, कानपुर व आगरा विकास प्राधिकरणों की समायोजन नीति का अवलोकन कर मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं के बीच–बीच में छूटी अनर्जित भूमि के समायोजन हेतु निम्नानुसार नीति अनुमोदित की गयी।:–

1. अनर्जित भूमि को जिलाधिकारी सर्किल दर पर आपसी समझौते से क्रय किया जाय। काश्तकार से उक्त भूमि का विक्रय विलेख प्राधिकरण के पक्ष में सम्पादित करा लिया जाये।

2. यदि काश्तकार/हितबद्ध व्यक्ति उक्तवत आपसी समझौते से भूमि विक्रय करने हेतु सहमत न हो तो अनर्जित भूमि में से अधिकतम 50 प्रतिशत विकसित भूमि ही काश्तकार/हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में छोडी जाये तथा शेष 50 प्रतिशत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानकर काश्तकार/हितबद्ध व्यक्ति से प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय विलेख सम्पादित कराया जाये जिसके लिए काश्तकार/हितबद्ध व्यक्ति को कोई मूल्य/प्रतिकर देय नही होगा। समायोजित भूमि पर नियमानुसार विकास शुल्क देय होगा।

3. काश्तकार/हितबद्ध व्यक्ति को दी जाने वाली विकसित भूमि यथा सम्भव उसके खसरा नम्बर में ही नियोजित कर उपलब्ध करायी जाये। यदि काश्तकार/हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में छोडी जाने वाली भूमि यथा स्थान पर नियोजित कर उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो तो उपलब्ध स्थान पर 50 प्रतिशत विकसित भूमि नियोजन कर भूखण्ड उपलब्ध कराया जाये, ऐसी स्थिति में होने वाली एक्सचैन्ज डीड पर, आने वाला व्ययभार, उभय पक्ष को वहन करना होगा।

4. काश्तकार/हितबद्ध व्यक्ति से समायोजित 50 प्रतिशत विकसित भूमि के मद में वाह्य एवं आन्तरिक विकास शुल्क समायोजन के समय प्राधिकरण में प्रचलित दर से लिया जाये।

5. यदि काश्तकार/हितबद्ध ब्यक्ति उपरोक्त विन्दु सं0–1 से 4 पर दी गई व्यवस्था से सहमत न हो तो योजना के बीच में पडने वाली भूमि जिसके कारण प्राधिकरण की योजनाओं में नियोजन एवं विकास बाधित हो रहा है तो ऐसी भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही की जाय।

प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–06–2014 में प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुपालन आख्या–

मद सं0 2

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 3

पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत खसरा संख्या–328 स्थित ग्राम पल्हेडा के पाकेट जे0 में अर्जित भूमि पर विक्रय पत्रों के आधार पर पन्द्रह वर्षो से काबिज अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जा हटाये जाने के उद्देश्य से निम्न नीति स्वीकार की गयीः–

1. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या–328 में अवैध काबिज व्यक्तियों को पाकेट जे0 में अन्यत्र दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं व्यवसायिक भूखण्ड सृजित कर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वर्तमान दर पर आवंटन इस शर्त के साथ कर दिये जावें, कि अनधिकृत काबिज व्यक्ति खसरा संख्या–328 से अनधिकृत निर्माण को हटा लें।
2. अनधिकृत निर्माण के संबंध में कोई अन्य अनुतोष अनधिकृत काबिज व्यक्ति को नहीं दिया जाय।
3. अनधिकृत काबिज क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत अधिकतम् 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान दर पर अनुमन्य किया जाये।

मद सं0 4

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा विचार–विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों को 3 वर्ष की अवधि हेतु दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, लेकिन प्रत्येक वर्ष, अवधि वृद्धि के सम्बन्ध में, शर्तो के पालन करने की समीक्षा की जाय।

मद सं0 5

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 6

पुनः स्पष्ट जानकारी हेतु गाजियाबाद, मथुरा, आगरा विकास प्राधिकरण तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र भेजकर जानकारी प्राप्त की जाय तद्नुसार अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाय।

मद सं0 7

प्राधिकरण का प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि निरस्त शुदा सम्पत्ति को शासनादेश के प्राविधान के क्रम में वर्तमान मूल्य पर बहाल न कराने की दशा में सम्पत्ति के सापेक्ष निविदा–सह–नीलामी में जमा की गयी धरोहर राशि शतप्रतिशत जब्त की जायेगी तथा शेष जमा धनराशि (आवंटन एवं किश्त की धनराशि) में से 25 प्रतिशत धन की कटौती के पश्चात् धनराशि वापस कर दी जाय।

मद सं0 8

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।।

मद सं0 9

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव पर अपर निदेशक कोषागार द्वारा व्यक्त की गयी आपत्ति के सन्दर्भ में वित्त नियन्त्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटी द्वारा देय धनराशि की गणना प्राधिकरण से ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत कराकर, ही जमा की गयी है किन्तु केवल मात्र प्रासेसिंग शुल्क रूपये 300/– की रसीद न तो आवंटी के पास है और न ही पत्रावली पर उपलब्ध है। मा0 बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की पत्रावली अपर निदेशक, कोषागार, मेरठ को भेजकर उनकी आख्या प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 10

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 11

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 12

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 13

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव केवल दुर्बल आय वर्ग एवं कमजोर वर्ग श्रेणी के भवनों (आश्रयहीन श्रेणी व बैम्बे योजना) के आवंटियों को राहत प्रदान करने हेतु इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि जो आवंटी इस योजना का लाभ उठाना चाहे वें एक निश्चित अवधि के अन्दर लाभ उठाते हुए भवन की वर्तमान कीमत

अनुसार शेष धनराशि अदा कर दें। यह राहत केवल 02—10—2014 से 31—10—2014 तक ही मान्य रहेगी।

मद सं0 14

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 15

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 16

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 102वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18—06—2014 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव की अनुपालन आख्या—

अनुपूरक मद सं0 01

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

अन्य मद

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06—09—2014 में प्रस्तुत प्रस्ताव—

मद सं0 01

रूडकी रोड पर ग्राम—मुकर्रबपुर पल्हैडा, रोशनपुर डोरली व पीलना सोफीपुर की भूमि पर पल्लवपुरम फेस—तृतीय के स्थान पर ग्राम—रिठानी, नंगला शेरखॉ उर्फ जैनपुर, नूरनगर, मौहम्मदपुर गुम्मी एवं लिसाडी की भूमि पर न्यू टाउनशि विकसित करने हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। महायोजना के अन्तर्गत जोनल मार्गो/महायोजना मार्गों के निर्माण हेतु भूमि आरक्षित रखते हुए प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही सहयुक्त नियोजक, श्री डी0सी0गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभिमत को संज्ञान में लेते हुए कि जोनल डेवलेपमेन्ट प्लान/रोड़ नेटवर्क सर्कुलेशन प्लान से सम्बन्धित वर्ष 2006 के सुसंगत शासनादेश का भी उक्त क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। मा0 बोर्ड द्वारा उपरोक्त शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0 02

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेदव्यासपुरी आवासीय योजना में आई0टी0 पार्क के स्थापना हेतु साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्कस् ऑफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0) को 10102 वर्ग मीटर भूमि 30 वर्ष की लीज पर निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं0 03

प्राधिकरण हेतु कार क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा वाहन हेतु रूपये 12 लाख की धनराशि निर्धारित करते हुए वाहन क्रय करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 04

ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक उपयोग की मानचित्रों में एफ0ए0आर0 निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गयाः–

(1) बढ़ा हुआ एफ0ए0आर0–2.50 केवल प्राधिकरण की योजनाओं में Unsold Property Or unregistered पर ही अनुमन्य किया जाये।

(2) बढ़े हुए एफ0ए0आर0 के प्रभाव से अतिरिक्त जन जनसंख्या/घनत्व हेतु अवस्थापना सुविधायें जैसे–ड्रेनेज़, सीवरेज़ व पेय जल आदि की आपूर्ति को प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) यह सुविधा मेरठ महायोजना के अन्तर्गत जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुरूप ही ग्रुप हाउसिंग क्रिया अनुमन्य किये जाने की दशा में प्राधिकरण की योजनाओं में ही, अन्य मानकों को पूर्ण कराते हुए, शासनादेश के अनुसार लागू की जायेगी।

मद सं0 05

<u>नगरीय क्षेत्रो में मुख्य मार्गो पर सीमित गहराई तक मिश्रित भू–उपयोग निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त एजेण्डा प्रस्ताव के बिन्दु सं0 06 पर पुर्नविचार करते हुए शेष प्रस्ताव पर विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 06

<u>भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</u>

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी। सहयुक्त नियोजन श्री डी0सी0गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुसार प्रश्नगत भूमि में 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग से आच्छादित भूमि को आवेदक द्वारा विकास प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित की जाये, की शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं शासन की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 07

<u>भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</u>

माननीय बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर एन0सी0आर0सेल के प्रतिनिधि एवं बोर्ड में उपस्थित नगर निगम के पार्षद सदस्यों द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी। मा0 बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गयेः–

1. अपर जिलाधिकारी (भूमि–अध्याप्ति), मेरठ।
2. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, मेरठ।
3. मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ।
5. माननीय बोर्ड के सदस्य–श्री परविन्दर इसू।

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 06–09–2014 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 01

मेरठ विकास प्राधिकरण की स्पोटर्स गुडस योजना में 1940.00 वर्ग मीटर भूमि लोडिंग/अनलोडिंग तथा 1785.00 वर्ग मीटर भूमि मैटिरियल डिपो हेतु आरक्षित उपयोग को आवास/कार्यशाला उपयोग में परिवर्तन करने तथा 1760.00 वर्ग मीटर भूमि को पर्चेजिंग सेन्टर के स्था पर पर्चेजिंग सेटर/नेबरहुड शॉपिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण एवं स्पोर्टस गुडस् योजना के प्रतिनिधियों से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर प्रस्ताव बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक मद सं0 02

हापुड़ रोड पर प्राधिकरण की लोहिया नगर योजना के अन्तर्गत मस्जिद के समीप गाटा सं0–340 (पार्ट) तथा 385 (पार्ट) स्थित ग्राम काजीपुर, मेरठ कुल क्षेत्रफल 21187.00 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग कार्यालय से आवासीय में परिवर्तन किये जाने सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण किया तथा इस शर्ते के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि जिलाधिकारी, मेरठ से परीक्षण कराकर तथा यदि कोई प्रतिकूल तथ्य न हो तो इसे अनुमोदित माना जाये।

अनुपूरक मद सं0 03

निर्मित आवासीय क्षेत्र में उपविभाजन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव की, व्यवहारिकता, अवस्थापना सुविधायें तथा प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों में उपविभाजन के सम्बन्ध में प्रचलित व्यवस्था का अदययन एवं परीक्षण कर प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव के परीक्षण कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने के भी निर्देश दिये गये।

1. मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

2. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ।

3. माननीय बोर्ड के गैर सरकारी वरिष्ठतम् सदस्य।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(राजेश कुमार)
उपाध्यक्ष/सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(भूपेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।